

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-06/टैक्सी सेवा/2018, परि 76.76/ पटना, दिनांक- 4/11/18

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी गतिशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MORTH) द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य के अधीन तकनीकी आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी/कम्पनियों का परिचालन को विनियमित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित निदेश, यथा "बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018" बनाने का प्रस्ताव देती है।

"बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018" का प्रारूप, एतद् द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जैसा कि उपर्युक्त वर्णित अधिनियम की धारा 212 के अधीन यह अपेक्षित है, और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस "प्रारूप अधिसूचना" के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् इसके अनुरूप बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव, जो सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800015 को उपर्युक्त प्रारूप प्रकाशन के संबंध में, निर्धारित तिथि के पूर्व, संयुक्त आयुक्त- सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त होगा, उन्हीं आपत्तियों/सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:-

प्रस्तावित बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (i) यह अनुदेश "बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018" कहा जाएगा।
(ii) ये निदेश सम्पूर्ण बिहार राज्य में परिचालित टैक्सी एग्रीगेटर पर लागू होंगे।
(iii) यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ –(1) इन निदेशों में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में अपेक्षित न हो—

- (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- (ii) "एग्रीगेटर" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो एक प्रचालक या एक मध्यस्थ/बाजार स्थल हो, जो यात्रियों को किसी टैक्सी/मोटरसाइकिल अथवा किसी अन्य सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा यात्रा के लिए पक्ष-प्रचार करता या सलाह देता या सुकर करता हो और जो यात्रियों/इच्छुक यात्रियों को किसी टैक्सी या किसी अन्य सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक से, फोन कॉल, इंटरनेट वेब आधारित सेवाओं या जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 आधारित सेवाओं के माध्यम से संबंध स्थापित करता हो चाहे ऐसी सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए कोई भाड़ा, फीस, कमीशन, दलाली या अन्य प्रभारों का संग्रहण किया जाता हो या नहीं;
- (iii) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन नीति से संलग्न प्रपत्र;
- (iv) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है ऐसी अनुज्ञप्ति; जो बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन के अधीन जारी की गई हो;
- (v) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है ऐसा "एग्रीगेटर" जो बिहार टैक्सी एग्रीगेटर नीति के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण करता हो;
- (vi) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सरकार;
- (vii) "टैक्सी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-74 के अधीन वैध परमिट धारण करने वाला कोई मोटरकैब वाहन तथा जिसमें चालक के अतिरिक्त अधिकतम 6(छः) यात्रियों से अनधिक क्षमता हो;
- (viii) "मोटर साइकिल" से अभिप्रेत है मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 (27) के तहत परिभाषित ऐसा द्विचक्रीय मोटर वाहन जिसमें अलग करनेवाला अतिरिक्त चक्रयुक्त पार्श्वकार जुड़ा हो और नौका, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या-1248(E) दिनांक-05.11.04 गैरव्यवसायिक एवं व्यवसायिक कोटि दोनों के अधीन मोटरसाइकिल के निबंधन की स्वीकृति देता है;
- (ix) "सार्वजनिक सेवा यान" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2(35) में यथा परिभाषित कोई ऐसा वाहन जो यात्रियों को भाड़े अथवा परिश्रमिक हेतु ढोने के लिए उपयोग किया जाने वाला अथवा उपयोग किए जाने के लिए परिवर्तित किया गया कोई वाहन;

(x) "जाँच पदाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला परिवहन पदाधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी ।

(2) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश में प्रयुक्त किन्तु इसमें अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियाँ के वही अर्थ होंगे, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किए गए हों ।

3. अनुज्ञप्ति— (क) अनुज्ञप्ति की अनिवार्यता—कोई भी कम्पनी बिहार राज्य के भीतर तबतक टैक्सी एग्रीगेटर के रूप में कार्य नहीं करेगी जबतक कि ऐसी कंपनी अनुज्ञापन प्राधिकारी से अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर लें।

(ख) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन— इस "बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018" के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, इस प्रयोजनार्थ परिशिष्ट-1 के यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र-1 में अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में दिया जाएगा, और इसमें दी गई सूची के अनुसार समर्थक दस्तावेज साथ में संलग्न किए जाएंगे ।

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के साथ बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम 103(क) के अनुसार उचित फीस के भुगतान का प्रमाण साथ में संलग्न किया जायेगा ।

(ग) आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज— आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे—

(i) आवेदक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 एवं अन्य लागू विधियों के सुसंगत प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, का सबूत;

(ii) बिहार राज्य में संगठन के पता का सबूत और बिहार राज्य में संगठन प्रभारी पदाधिकारी का टेलीफोन नंबर, वेब-पता एवं ई-मेल आई डी का ब्यौरा;

(iii) विगत एक वर्ष के लिए आवेदक को प्रचालन में होना चाहिए—निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति;

(iv) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति एवं पैन का विवरण

(v) विगत एक वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय विवरण,

he

(vi) इस प्रभाव का वचनबंध कि "बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018" के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तों के साथ-साथ मोटरवाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरवान नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के आवश्यक एवं लागू प्रावधान तथा देश की लागू सभी विधियों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जाएगा,

(vii) अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वामित्व का अथवा परमिटधारी टैक्सी के वाहन मालिक या निजी वाहन मालिकों के साथ विहित प्रारूप में इस प्रभाव का करार कि लाइसेंस मिलने के 30 दिनों के भीतर उक्त निजी वाहन का सम्परिवर्तन व्यवसायिक वाहन में करने हेतु समक्ष प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर लिया जायेगा के माध्यम से 50 टैक्सियों का कम से कम एक बेड़ा संधारित करेगा;

(viii) अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वामित्व का अथवा वाहन मालिक के साथ विहित प्रारूप में इस प्रभाव का करार कि लाइसेंस मिलने के 30 दिनों के भीतर निजी वाहन का सम्परिवर्तन व्यवसायिक वाहन में करने हेतु समक्ष प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर लिया जायेगा, 50 मोटर साइकिलों का कम से कम एक बेड़ा संधारित करेगा,

(ix) आवेदक कम्पनी के प्रबंधक निदेशक का नाम, पता, दूरभाष नम्बर, वेबसाइट का पता, ई-मेल आई-डी संबंधी विवरण;

(x) आवेदक कम्पनी द्वारा एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने संबंधी विकसित एम0आई0एस0 एवं उपलब्ध अन्य तकनीकी विशिष्टियों का विवरण समेकित कर आवेदन के साथ समर्पित करना होगा;

(xi) प्रचालन के लिए, कॉल सेन्टर, वेबपोर्टल तथा मोबाइल एप का ब्यौरा उपलब्ध पार्किंग सुविधाओं का ब्यौरा।

(घ) औपबंधिक अनुज्ञप्ति— आवेदक द्वारा परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-1 में अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु आवेदन देना होगा एवं आवेदक द्वारा बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु शर्तों के अनुपालन से संतुष्ट होने की स्थिति में परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-2 में "औपबंधिक अनुज्ञप्ति" अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जा सकेगा। औपबंधिक अनुज्ञप्ति 30 दिनों के लिए वैध होगी और इस अवधि में आवेदक

“औपबधिक अनुज्ञप्ति” में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य प्रस्तुत करेगा । अनुज्ञापन प्राधिकार के निदेशानुसार औपबधिक अनुज्ञप्ति को अगले 30 दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा तथा औपबधिक अनुज्ञप्ति की विस्तारित अवधि की समाप्ति तक सभी मानदंड पूर्ण नहीं करने की दशा में औपबधिक अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकेगा ।

(ड) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति— (i) इसका समाधान होने पर कि आवेदक ने बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए विहित शर्तों का संतोषप्रद अनुपालन कर लिया है, अनुज्ञापन प्राधिकार संलग्न परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-2 में “स्थायी अनुज्ञप्ति” को स्वीकृत करेगा ।

(ii) अनुज्ञप्ति की वैधता निर्गत तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी ।

(iii) “अनुज्ञापन प्राधिकार” अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पूर्व जाँच पदाधिकारी से वैसी रीति से जाँच करवा सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझता हो ।

(च) अनुज्ञप्ति नवीकरण—(i) इन नियमों के अधीन स्वीकृत, अनुज्ञप्ति वैधता की अवधि के समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व परिशिष्ट-1 के विहित प्रपत्र-3 में नवीकरण हेतु समर्पित आवेदन बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के संतोषजनक अनुपालन के अधीन रहते हुए नवीकृत किया जा सकेगा ।

(ii) अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम 103 (क) में विहित फीस के साथ नवीकरण आवेदन समर्पित किया जायेगा,

(iii) अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख :-

1. दी गई अनुज्ञप्ति की मूल प्रति,
2. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में प्रयुक्त टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी का परमिट का ब्यौरा;
3. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में इस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या का ब्यौरा;
4. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में सेवा के संबंध में यात्रियों के प्राप्त शिकायत एवं उसके निवारण का ब्यौरा;

5. विगत तीन वर्षों के आय-व्यय का अंकेक्षित प्रतिवेदन,
6. वैधता अवधि में की गई किसी कार्रवाई का ब्यौरा,
7. अनुज्ञापन प्राधिकार अनुज्ञप्ति नवीकरण करने के पूर्व जाँच पदाधिकारी से वैसी रीति से जाँच करवा सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझता हो ।

(iv) अनुज्ञप्ति के नवीकरण की तिथि से अगले तीन वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति वैध होगी,

(v) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 में यथा वर्णित शर्तों के संतोषप्रद अनुपालन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-2 में अनुज्ञप्ति नवीकृत करेगा।

(घ) अनुज्ञप्ति निलंबन या रद्द करने का अनुज्ञापन प्राधिकार का अधिकार-

(i) अनुज्ञापन प्राधिकार, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा, यदि:-

(क) अनुज्ञप्तिधारी इस निदेश किसी निबंधनों और शर्तों में से किसी अनुपालन करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी से सम्बद्ध वाहन का चालक किसी यात्री के साथ दुर्व्यवहार अथवा कदाचार का दोषी सिद्ध होता है, अथवा

(ग) किसी यात्री द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की गयी शिकायत संदेह से परे सही साबित होता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकेगा अथवा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा

परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जबतक अनुज्ञप्ति के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(घ) यदि अनुज्ञापन प्राधिकार का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति निबंधनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह अनुज्ञप्ति का नवीकरण, लिखित रूपों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनुज्ञप्ति नवीकरण अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ii) जब अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दी गई हो तो अनुज्ञप्तिधारी; अनुज्ञापन प्राधिकार को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा ।

be

(छ) अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति का निर्गमन—जहाँ अनुज्ञप्ति खो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है, तो दूसरी प्रति निर्गत करने के लिए एक आवेदन बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 (क) में विहित फीस के साथ किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर लाल स्याही से "दूसरी प्रति" अंकित की जाएगी।

4. अपील— (i) अनुज्ञप्ति से संबंधित मामलों में अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना होंगे।

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित अनुज्ञप्तिधारी आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(iii) अपील दो प्रति में संक्षिप्त ज्ञापन के रूप में होगा, जिसमें अपील के आधार का वर्णन होगा तथा इसके साथ ऐसा फीस संलग्न होगी जो सरकार द्वारा बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 में विनिर्दिष्ट की गयी हो।

(iv) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

5. किराया— (i) मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 (1) के अनुसार राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा टैक्सी के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराए एवं भारक नियत करने के संबंध में निदेश निर्गत कर सकेगी।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी, किराया दर प्रदर्शित करेगा और वेबसाइट, इंटरनेट समर्थित ऐप पर (मोबाइल ऐप सहित) अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चालक और यात्री को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिजिटल प्लेटफार्म किराया दर आकलक उपलब्ध रहेगा।

bu

6. परिचालन हेतु आधारभूत संरचना-

(क) वाहन संबंधी आधारभूत संरचना-

(i) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ऐसी कोई टैक्सी/मोटर बाईक टैक्सी किसी एग्रीगेटर के माध्यम से भाड़े पर नहीं दी जाएगी जो इन नियमों के तहत निबंधित न हो।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी टैक्सी/मोटर बाईक टैक्सी के पास अधिनियम के अधीन निर्गत वैध फिटनेश प्रमाण पत्र और मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र, विहित बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ, स्वीकृत परमिट के अधीन प्रचालित हो रहा है।

(iii) इस निदेश के अधीन प्रचालित हरेक वाहन के पास या तो वाहन से लगा अथवा वाहन के चालक के मोबाइल से लगा जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 आधारित यंत्र होना होगा, जो की गयी यात्रा का मार्ग तथा कुल आच्छादित दूरी को प्रदर्शित करेगा। टैक्सी भाड़े पर परिचालन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण कक्ष से लगातार सम्पर्क में रहेगी।

(iv) इस निदेश के अधीन प्रचालित कोई वाहन मोबाइल, रेडियो, वेब अथवा अनुज्ञप्तिधारी के दुतरफा प्रणाली पर आधारित डिजीटल प्लेटफार्म से सुसज्जित होगा।

(v) चालक का फोटो, अनुज्ञप्ति संख्या, लोक सेवा के लिए प्रयुक्त वाहन (PSV)का बैच संख्या, वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले ब्यौरे वाहन के भीतर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि यह यात्रियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। ये ब्यौरे ऐप में तथा उपभेक्ता को निर्गत बिल (इनवाईस) में भी प्रदर्शित होंगे।

(vi) वाहन के भीतर वाले भाग में जिला परिवहन कार्यालय, पुलिस एवं महिला हेल्प लाईन का फोन नम्बर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(vii) इस अनुदेश के अधीन प्रचालित कोई वाहन प्राथमिक उपचार पेट्री से सुसज्जित होगा तथा उसमें बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में विनिर्दिष्ट सामग्री उपलब्ध होगी।

(viii) इस अनुदेश के तहत परिचालित किसी वाहन को स्वच्छ ईंधन से परिचालित किया जाएगा। ये वाहन परिवहन प्राधिकार/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, जारी उत्सर्जन मानकों का पालन करेंगे।

(ix) वाहन में यात्रियों को आसानी से मिलनेवाली एक फीडबैक पंजी रखी जाएगी।

(x) मोटर साइकिल (बाइक टैक्सी) की स्थिति में, उपरोक्त खंड के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी—

(क) अव्यस्कों को भाड़े का वाहन उपलब्ध करने की अनुमति नहीं होगी,

(ख) पिछली सीट पर एक से ज्यादा यात्री के वहन की अनुमति नहीं होगी, परन्तु अभिभावक के संरक्षण में 5 वर्ष तक के एक बच्चे को यह अनुमति होगी,

(ग) सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा चालक के अतिरिक्त यात्रियों के लिए स्वीकृत मानकों के अनुरूप 'क्रैश हेलमेट' प्रदान किया जाएगा,

(घ) भाड़े पर लेने वाले को बहुत सीमित मात्रा में व्यक्तिगत सामान जैसे सामान्य आकार का बैक-पैक अथवा छोटा ब्रीफकेस आदि रखने की अनुमति दी जाएगी,

(ङ) सहजदृश्यता के लिए ऐसे सभी बाइक-टैक्सी को उस रंग से रंगा जाएगा जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा । ईंधन टैंक के दोनों तरफ परवर्तक रंग का प्रयोग कर "बाइक-टैक्सी" शब्दों को प्रमुखता से रंगा जाएगा तथा वाहन के आगे और पीछे "बाइक-टैक्सी" शब्दों को उजले रंग के आधार वाले अतिरिक्त प्लेट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(ख) चालक प्रोफाईल— (i) चालक को, यथास्थिति, टैक्सी या बाइक टैक्सी चलाने हेतु एक वैध वाणिज्यिक वाहन चालक अनुज्ञप्ति रखनी होगी

(ii) चालक को प्रचालन क्षेत्र के मार्गों एवं सड़कों की पर्याप्त जानकारी रखनी होगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो ।

(iii) चालक कर्तव्य के दौरान अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित अथवा कंपनी के डिजाइन के अनुसार वर्दी धारण करेगा ।

(iv) चालक बिना किसी आपराधिक रिकार्ड के अच्छे नैतिक आचरण वाला होगा । कोई व्यक्ति, जो मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रभाव में पिछले 7 वर्षों के भीतर वाहन चालन के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया हो अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के लिए कभी भी सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें कपट, यौन अपराध, मोटरवाहन का इत्तेमाल कर संज्ञेय अपराध, संपत्ति विवाद और/अथवा चोरी वाले अपराध, हिंसा अथवा आतंक फैलाना शामिल हो, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा ।

be

(v) अनुज्ञप्तिधारक, चालकों की गुणवत्ता, उनके पुलिस सत्यापन एवं यात्रियों के प्रति उनके द्वारा किए गए व्यवहार के लिए, उत्तरदायी होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि चालक सुरक्षित, विश्वसनीय और ईमानदार है।

(vi) वाहनों के स्वामित्व की सूचना और चालकों के प्रोफाइल, जिसमें पुलिस सत्यापन शामिल है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकार के साथ-साथ यातायात पुलिस को उपलब्ध किया जाएगा।

(vii) चालकों द्वारा वाहन के निम्नलिखित अद्यतन कागजातों की छायाप्रति (संगत मूल पत्रों से सत्यापन के बाद) संधारित की जायेगी—

1. निबंधन प्रमाणपत्र;
2. फिटनेस प्रमाण पत्र;
3. वाहन का परमिट;
4. वाहन का इंजन एवं चेचिस नम्बर;
5. अधिनियम में विहित तृतीय पक्षकार को आच्छादित करनेवाला वाणिज्यिक बीमा पॉलीसी;
6. नियंत्रण के अधीन प्रदूषण प्रमाण पत्र।

(viii) यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे वाहन का उपयोग करता है अथवा देता है अथवा किसी रीति से उपयोग करने की अनुमति देता है, जो अधिनियम के उपबंधों द्वारा प्राधिकृत नहीं हो तो अनुज्ञप्तिधारी और चालक किसी व्यक्ति, जिसमें चालक सम्मिलित है, द्वारा की गई क्षति, चोट, अपराध के लिए अनुज्ञप्तिधारी और चालक संयुक्त रूप से जवाबदेह होगा,

(ix) चालक यात्री के साथ हमेशा विनम्र और शिष्ट रीति से व्यवहार करेगा,

(x) चालक आवाज लगाकर यात्रियों को नहीं बैठाएगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन करने हेतु सामान्य शर्तें—(i) अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त कर्मचारियों के साथ हर समय (24x7) टैक्सी सेवा एवं नियंत्रण कक्ष बनाए रखेगा,

(ii) अनुज्ञप्तिधारी सभी टैक्सियों के लिये पर्याप्त पड़ाव स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा,

to

(iii) अनुज्ञप्तिधारी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (सं० 14, /अधिनियम, 2013) के अधीन यथा निर्धारित महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा,

(iv) अनुज्ञप्ति में यथोल्लिखित अपने कारोबार का न तो स्थान बदलेगा और न शाखा तथा अनुज्ञापन प्राधिकार से लिखित अनुमति के बिना कोई नई शाखा नहीं खोलेगा,

(v) अपने नियंत्रण वाली सभी टैक्सी एवं मोटर बाईक टैक्सी का दैनंदिन आधार पर डिजिटल रूप में हरेक वाहन द्वारा प्रचालित बारी, वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों के ब्यौरे, यात्रा का उद्गम और गन्तव्य तथा वसूले गए किराया का अभिलेख संधारित करेगा । इस प्रकार संधारित अभिलेख, अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा नामित किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय जाँच के लिए खुला रहेगा,

(vi) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकार को प्रत्येक त्रैमासिक आधार पर एवं मांगे जाने पर चालकों की सूची, उनकी अनुज्ञप्ति संख्या, वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा चेचिस एवं इंजन संख्या और उसके द्वारा प्रचालित टैक्सी के परमिट का ब्यौरा उपलब्ध करेगा;

(vii) चालकों से संबंधित निम्नलिखित अद्यतन ब्यौरे की प्रति (मूल से सत्यापन के पश्चात्) संधारित करेगा:

1. चालक का फोटो;
2. चालक अनुज्ञप्ति;
3. आवास प्रमाण-पत्र के सबूत के साथ घर का वर्तमान पता;
4. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार के0वाई0सी0 सहित बैंक खाते का ब्यौरा;
5. पैन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति;
6. दो पारिवारिक सदस्यों का संपर्क ब्यौरा और पता ।

(viii) किसी चालक पर लागू मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रयोग पर शून्य सहन नीति कार्यान्वित करेगा, अपने वेबसाइट पर "शून्य सहन नीति" का नोटिस के साथ ही जब यात्री को समुचित रूप से शंका हो कि चालक गाड़ी चलाने के दौरान मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रभाव में था तो यात्रियों द्वारा चालक के बारे में शिकायत करने की प्रक्रिया

उपलब्ध करेगा । अनुज्ञप्तिधारी "शून्य सहन नीति" के कथित उल्लंघन को यात्री की शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे चालक की प्लेटफार्म तक पहुँच को तुरत अक्रियाशील अथवा निलंबित कर देगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जाँच की अवधि के दौरान चालक का निलंबन जारी रहेगा ।

(ix) अनुज्ञप्तिधारी अपने चालकों के लिए संरचित रिक्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो केवल सुरक्षित चालन-कौशल तक सीमित नहीं होगा, आयोजित करेगा जिसमें लैंगिक संवेदीकरण, यात्री शिष्टाचार आदि विषय शामिल हों । अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि चालक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार रिक्रेशर प्रशिक्षण में भाग ले । ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रलेखित होना चाहिए ।

(x) चालक के फोटो के साथ वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा चालक के अन्य ब्यौरे वाहन पर चढ़ने से पहले उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजेगा ।

(xi) टैक्सी किराया, अपना प्लेटफार्म अथवा एप टैक्सी के रजिस्ट्रीकरण, टैक्सी के स्वामी और/अथवा चालक के साथ भाड़े की जानकारी साझा करते हुए, यात्रियों की सुरक्षा आदि पर अपनी नीति पहले ही प्रकाशित करेगा ।

(xii) अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि चालक वार्षिक स्वास्थ्य जाँच कराए ताकि वाहन चलाने की उसकी योग्यता सुनिश्चित की जा सके ।

(xiii) यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी इसे अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकार के साथ-साथ क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को तुरंत सूचित करेगा ।

(xiv) वाहन भौतिक आपात बटन की सुविधा तथा दबाने पर विहित आवाज/प्रकाश उत्सर्जित करने की व्यवस्था से सुसज्जित होना चाहिए ताकि सहजदृश्य स्थान में और भाड़े पर लेने वालों की तुरंत पहुँच वाले स्थान में वाहन में एवं यात्री/चालक की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । वाहन उसके स्वामी द्वारा लगाए गए जी0पी0एस0 यंत्र से सुसज्जित होना चाहिए ।

7 शिकायत निवारण- (i) वेब पोर्टल संधारित करेगा जिसमें वाहन स्वामी से संबंधित सभी ब्यौरे, प्रदत्त सेवा, किराये की संरचना, बीमा दायित्व, नियंत्रण कक्ष का नम्बर, सम्यक् रूप से नियुक्त शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम और सम्पर्क ब्यौरे रहेंगे ।



(ii) यात्रियों के फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तंत्र सुनिश्चित करेगा । यह टैक्सी में रखी फीडबैक पंजी जो हमेशा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी, के माध्यम से तथा टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराकर सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों अथवा किसी अन्य व्यक्तियों की प्राप्त शिकायत अथवा परिवाद उसके द्वारा नियुक्त शिकायत पदाधिकारी द्वारा सुने जायेंगे, एवं निरीक्षी प्राधिकारों द्वारा मांग किये जाने पर उनके समक्ष भी उपलब्ध किए जायेंगे ।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यात्रियों के शिकायत निवारण के स्थिति की समीक्षा, समय-समय पर, परिवहन विभाग द्वारा भी की जा सकेगी और समीक्षा के क्रम में अनुज्ञप्तिधारक को जाँच पदाधिकारी के समक्ष वैसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जैसा जाँच पदाधिकारी आवश्यक समझे । समीक्षोपरान्त आवश्यकता होने पर विभाग ऐसे समुचित निदेश निर्गत कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझता हो ।

8. कठिनाई दूर करने की शक्ति— (i) परिवहन विभाग आवश्यकतानुसार इस निदेश में संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकार होगा ।

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 30 दिनों की पूर्व नोटिस के पश्चात् किसी शर्तों को परिवर्तित कर सकेगा अथवा नई शर्त जोड़ सकेगा ।

9. प्रकीर्ण— इस अनुदेश के अधीन कोई उपबंध यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपन अधिनियम 1994 तथा एतदधीन निर्मित नियमावली के किसी उपबंध के विरुद्ध पाया जाता है, तो उन अधिनियमों एवं नियमावलियों में विहित प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा ।

10. निरसन और व्यावृत्ति— इस संबंध में पूर्व में निर्गत कोई भी दिशा निदेश, कार्यपालक आदेश आदि पर “बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018” में विहित प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा और पूर्व के आदेश इस हद तक निरसित समझे जायेंगे ।

(बिहार राज्यपाल के आदेश से)

Uan
26/11/18

(संजय कुमार अग्रवाल)

सरकार के सचिव ।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-

7676

पटना, दिनांक- 4/12/18

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

lian
26/11

सरकार के सचिव।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

7676

पटना, दिनांक- 4/12/18

प्रतिलिपि :- सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

lian
26/11

सरकार के सचिव।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

7676

पटना, दिनांक- 4/12/18

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

lian
26/11

सरकार के सचिव।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

च 30 36

परिशिष्ट-1:

प्रपत्र-1

बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन-सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-
अनुज्ञापन प्राधिकार, बिहार सरकार, पटना ।

एतद् द्वारा मैं नाम...../पदनाम..... बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए एतद् द्वारा आवेदन करता हूँ।

क्रम सं०	वांछित विवरण	आवेदक का विवरण
1	एग्रीगेटर कम्पनी का पूरा नाम	
2	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का नाम एवं पिता नाम	
3	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल	
4	मुख्य कार्यालय का पता	
5	कम्पनी का दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल	
6	बिहार में अवस्थित शाखा कार्यालय का पता	
7	शाखा कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी का दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल	
8	शाखाओं की संख्या एवं उसका पता	
9	अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत निबंधित है, तो निगमन/निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति	
10	कम्पनी का जी०एस०टी० निबंधन संख्या एवं प्रमाण पत्र की प्रति	
11	पैन संख्या	
12	विगत एक वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन	
13	प्रचालन के प्रयोजन हेतु कॉल सेन्टर, वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप का विवरण	
14	उपलब्ध पार्किंग सुविधा का विवरण	
15	जी०पी०एस०/जी०पी०आर०एस० सुविधा का विवरण	
16	प्रचालित की जानेवाली प्रस्तावित टैक्सी या मोटर बाइक टैक्सी की संख्या/अनुबंध का प्रमाण (संलग्न सूची के अनुसार)	
17	समर्पित फीस का विवरण	
18	प्रतिभूति राशि का विवरण	
19	कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष निष्पादित इस आशय का समर्पित 'शपथ पत्र' कि टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के साथ-साथ मोटरवाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 एवं उनके अधीन बने सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा ।	

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचनाएँ तथा इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरी जानकारी में सही है । यदि किसी समय दी गई सूचनाएँ अशुद्ध पाई जाती है तो मुझे दी गई अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने हेतु दायी होगी एवं मेरे विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के प्रावधानों को मैंने पढकर समझ लिया है । मैं इसे स्वीकार करता हूँ और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 का पालन करने हेतु सहमत हूँ।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का हस्ताक्षर



परिशिष्ट-1:

प्रपत्र-2

एग्रीगेटर के लिए अनुज्ञप्ति

बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 में अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा संपूर्ण बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए को अनुज्ञप्ति दी जाती है । यह अनुज्ञप्ति दिनांकसेतक विधिमान्य रहेगी ।

क्रम सं०	विवरण
1	अनुज्ञप्ति संख्या एवं निर्गमन तिथि
2	एग्रीगेटर कम्पनी का पूरा नाम
3	कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का नाम एवं पिता नाम
4	मुख्य कार्यालय का पता (दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल सहित)
5	शाखाओं के पता (दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल सहित)
6	राज्य के अन्तर्गत प्राधिकृत प्रतिनिधि का टेलीफोन नम्बर, वेब पता और ई-मेल आईडी
7	प्रचालित की जानेवाली प्रस्तावित टैक्सी/मोटर बाइक टैक्सी की संख्या (संलग्न सूची के अनुसार)
8	नेटवर्क की विशिष्टि जिसके माध्यम से ऑपरेटर कार्य करेगा
9	आवेदक कम्पनी के अन्य आधारभूत संरचना यथा, कॉल सेन्टर, पार्किंग आदि का ब्यौरा
10	प्रतिभूति जमा का ब्यौरा

अनुज्ञप्तिधारी बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 में अन्तर्विष्ट सभी शर्तों का पालन करेगा ।

नवीकरणसे.....तक किया जाता है।

दिनांक:

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-1:

प्रपत्र-3

बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन-

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना ।

मैं नाम...../पदनाम.....एतद् द्वारा बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश,

2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ ।

क्रम सं०	विवरण
1	अनुज्ञप्ति संख्या
2	अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि
3	आवेदन फीस का विवरण
4	आवेदन की तिथि
5	एग्रीगेटर कम्पनी एवं प्रबंध निदेशक का पूरा नाम एवं पता
6	मुख्य कार्यालय का पता(दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल सहित)
7	प्राधिकृत प्रतिनिधि का टेलीफोन नम्बर, वेब पता और ई-मेल आईडी
8	निर्गत अनुज्ञप्ति की मूल प्रति
9	प्रयुक्त मोटर टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी का परमिट सहित संक्षिप्त विवरण
10	अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में इस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या का संक्षिप्त विवरण,
11	अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में सेवा के संबंध में प्राप्त यात्रियों का शिकायत एवं उसके निवारण की स्थिति का विवरण,
12	विगत तीन वर्षों के आय-व्यय का अंकेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन,

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचनाएँ तथा संलग्न अन्य दस्तावेज मेरी जानकारी में सही है । यदि किसी समय यह अशुद्ध पाया जाता है तो मुझे दी गई अनुज्ञप्ति नवीकरण रद्द किए जाने के अतिरिक्त मेरे विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई किए जाने का दायी होगा । बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के प्रावधानों को मैंने पढ़कर समझ लिया है । मैं इसे स्वीकार करता हूँ और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 का पालन करने हेतु सहमत हूँ।

स्थान:

दिनांक:

कंपनी के प्रबंधन निदेशक
का हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम